



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/472

दिनांक : 03.09.2025

प्रति

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/

सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया

विषय: विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) के अनिवार्य वार्षिक अद्यतनीकरण के संबंध में - निष्क्रियता से बचें

सभी सदस्यों/निर्यातकों को सूचित किया जाता है कि विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 2.05(डी) के प्रावधानों के अनुसार, सभी आईईसी धारकों को हर साल अप्रैल-जून की अवधि के दौरान अपने आईईसी विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करना अनिवार्य है। यहाँ तक कि जिन मामलों में आईईसी विवरण में कोई बदलाव आवश्यक नहीं है, उन्हें भी डीजीएफटी पोर्टल पर ऑनलाइन पुष्टि करनी होगी।

हमें अतिरिक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय, मुंबई द्वारा सूचित किया गया है कि विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 2.05(ई) के अनुसार, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने उन आईईसी को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिन्हें आवश्यकतानुसार अद्यतन नहीं किया गया है। ऐसी कार्रवाई के लिए लगभग 59,000 आईईसी की पहचान की गई है।

संबंधित आईईसी धारकों को उनके आईईसी विवरण को अद्यतन या पुष्टि करने के लिए दो अनुस्मारक भेजे जाएँगे। अनुपालन न करने पर 16 सितंबर 2025 से आईईसी निष्क्रिय कर दिए जाएँगे।

हितधारकों को सचेत करने के लिए डीजीएफटी वेबसाइट पर एक टिकर/घोषणा भी प्रदर्शित की जाएगी।

इसलिए सभी निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत डीजीएफटी पोर्टल पर लॉग इन करें और निष्क्रियता से बचने के लिए अपने आईईसी विवरणों को अपडेट/पुष्टि करें, क्योंकि इससे निर्यात गतिविधियां बाधित हो सकती हैं।

सादर,

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल